अपील सूचना अधिकार संख्या 145/2020 (RCMS 2020/00257) हरपाल सिंह सुधन (एडवोकेट) पुत्र महताब सिंह जाति ब्राह्मण सिख निवासी चैम्बर नम्बर 5ए, कचहरी परिसर, रायसहिनगर जिला श्रीगंगानगर (मोबाईल नम्बर 96678–61073) बनाम प्रभारी अधिकारी, जिला अभिलेखागार, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर

12.01.2021

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री हरपाल सिंह उपस्थित नहीं है। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने आवेदन पत्र दिनांक 03.10.2020 से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत अति. जिला कलक्टर एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर को एक आवेदन पत्र प्रस्तुत करके सूचना चाही थी जिसे राज्य लोक सूचना अधिकारी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत पत्रांक 995 दिनांक 07.10.2020 से प्रभारी अधिकारी, जिला अभिलेखागार, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर को सूचना उपलब्ध करवाने हेतु हस्तान्तरित कर दिया था। प्रभारी अधिकारी, जिला अभिलेखागार द्वारा अपीलार्थी को निश्चित अविधि में सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई है इसलिए उसने प्रभारी अधिकारी, जिला अभिलेखागार पर 250/– रूपये प्रतिदिन शास्ति अधिरोपित करने एवं लोक सूचना अधिकारी से सूचना दिलवाने की प्रार्थना की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री हरपाल सिंह ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 03.10.2020 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न सूचना चाही थी:

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahavir Prasad Verma
Date: 2021.02.08 13:03:37 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

पत्रावली विक्रय स्वीकृति खातेदान सुरेन्द्र कौर पुत्री दलीप सिंह साकिन जैतसर के द्वारा उनके द्वारा अपनी कृषि भूमि वाके 3 एल सी''ए'' तहसील श्रीविजयनगर (तत्कालीन अनूपगढ) के मुरब्बा नम्बर 5 (121/352) की 25 बीघा को विक्रय करने के लिए श्रीमान् जिला कलक्टर, श्रगंगानगर से दिनांक 04.03.1983 से 19.05.1983 के मध्य ली गई विक्रय स्वीकृति पत्रावली में 1. आवेदन पत्र 2. रिपोर्ट पटवारी 3. रिपोर्ट तहसीलदार 4. फर्द अहकाम शुरू से अतं तक 5. विक्रय प्रमाण पत्र एवं 6. अन्य समस्त पत्रावली मय दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि।

उक्त अपील पत्र के संदर्भ में प्रभारी अधिकारी, जिला अभिलेखागार, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक 148 दिनांक 09.11.2020 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब दिया है :

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख हे कि आपके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र में वर्णित सूचना की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध करवाने हेतु निवेदन किया है। आवेदन पत्र में आपने चाही गई सूचना से सम्बन्धित पत्रावली का नम्बर/संख्या, अनवान व पूर्ण विवरण अंकित नहीं किया है। जिसके अभाव में आपाके सूचना उपलब्ध नहीं करवाई जा सकती।

अतः आाके लिखा जाता है कि आप किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में उपस्थित होकर, कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन कर चाही गई सूचना से संबंधित पत्रावली नम्बर/संख्या मय पूर्ण विवरण से इस कार्यालय को अवगत करावें ताकि तदनुसार आपको सूचना उपलब्ध करवाई जा सके।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahavir Prasad Verma
Date: 2021.02.08 13:03:37 IST
Reason: SelfAttested

-sd-
प्रभारी अधिकारी
जिला अभिलेखागार, कलक्ट्रेट
श्रीगंगानगर

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं के सम्बन्ध में लोक सूचना अधिकारी द्वारा आवेदक को चाही गई सूचनाओं के सम्बन्ध में दिनांक 08.08.2020 को जवाब दिया जा चुका है जिसके अनुसार प्रार्थी रिकॉर्ड का सम्पूर्ण विवरण अंकित कर सूचना प्राप्त कर सकता है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है **जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए** एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। **सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है।** लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। **सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते।** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देने, परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की गुंजाईश नहीं है। इसलिए लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को उसके द्वारा चाही गई सूचनाओं के सम्बन्ध में दिनांक 11.11.2020 को दिया गया उत्तर सही** है और उसमें किसी

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahavir Prasad Verma
Date: 2021.02.08 13:03:37 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है इसलिए प्रार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी, जिला अभिलेखागार, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 12.01.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महावीर प्रसाद वर्मा)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahavir Prasad Verma
Date: 2021.02.08 13:03:37 IST
Reason: SelfAttested